

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.12258 of 2009

=====

Manoj Kumar Thakur, Son of Late Satya Narayan Singh, Village – Amritpur,
P.S. - Tajpur, District – Samastipur, Bihar.

... .. Petitioner/s

Versus

1. Chairman Cum Managing Director represented through Zonal Manager (Appellate Authority), Central Bank of India, Zonal Office, Pawapuri Vihar, N.H. 28, Bhagwnapur, Muzaffarpur – 1.
2. Regional Manager (Disciplinary Authority), Central Bank of India, Regional Office, Alalpatti, Darbhanga – 846003.
3. Senior Manager (Enquiry Officer), Central Bank of India, Zonal Officer, Muzaffarpur.
4. Assistant Manager (Presenting Officer), Central Bank of India, Regional Office, Darbhanga.
5. Senior Manager, Central Bank of India, Branch Office, Pusa Farm, Samastipur, Bihar.
6. Manager (Cash), Central Bank of India, Branch Office, Pusa Farm, Samastipur, Bihar.

... .. Respondent/s

=====

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr. Mirtyunjay Kumar Mishra, Advocate
For the Respondent/s	:	Mr. Ajay Kumar Sinha, Sr. Advocate
		Mr. Ajit Kumar Sinha, Advocate
		Ms. Minu Kumari, Advocate
		Mr. Dilkash Khan, Advocate
		Mr. Pravin Kumar, Advocate

=====

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE P. B. BAJANTHRI
ORAL JUDGMENT

Date : 15-02-2023

The petitioner has unnecessarily impleaded respondents by name insofar as respondent Nos. 3 to 6 without alleging any allegation of malafide or bias against such of those persons who



have been impleaded therefore, petitioner's counsel is hereby directed to delete their names during the course of the day.

2. In the instant petition, petitioner has prayed for the following relief/reliefs:

“(i) For setting aside the order of dismissal dated 16.06.2007 passed by respondent no. 2 in his capacity as Disciplinary Authority in the matter of departmental inquiry held against the petitioner, Head Cashier – II Pusa Farm Branch of the respondent Bank.

(ii) For a direction to the respondents to reinstate the petitioner with full back wages.

(iii) For holding that the major punishment of dismissal from service without notice is against the doctrine of proportionality in administrative law.

(iv) For holding that the punishment of dismissal being disproportionate to the misconduct alleged against the petitioner is violative of Article 14 of the Constitution of India.

(v) For holding that the entire disciplinary proceeding is vitiated by non-observance of principle of Natural Justice and has proceeded in a pre-judicial manner without application of mind.

(vi) For any other relief or reliefs to which the petitioner may be deemed entitled.”

3. The petitioner while working as Head Cashier – II alleged to have committed misdeeds for which he was subjected to disciplinary proceedings in framing two charges. The following are the two charges:

"आरोप संख्या- 1: "Sri. Manjoj Kumar Thakur was incharge of Cash Department. On 18.10.2006 he tried to close cash safe by inflating the Cash



Balance by an amount of Rs. 172000/-, Sri. Thakur written the cash memo and inflated the denomination of notes to the tune of Rs. 172000/- and produced the cash memo before Sri. Bharat Bhushan, ABM, Pusa Farm, who was second signatory of the cash memo. During the course of counting the notes, Sri. Bhushan found that amount of Rs. 172000/- was less in the packets of Rs. 500/- and 100/- denominations. After enquiry from Sri. Thakur, he told that he has given Rs. 172000/- to one customer who has assured him to pay the amount by 4 PM. Thus, Sri. Thakur misappropriated the Bank's fund and tried to conceal the fact."

उपर्युक्त आरोप को सावित करने हेतु प्रबन्धन प्रतिनिधि द्वारा प्रबन्धन प्रदर्श 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 प्रस्तुत किया गया एवं प्रबन्धन गवाह 1 एवं 2 के बयान द्वारा भी वस्तुस्थिति को कार्यवाही पर लाने का प्रयास किया गया। प्र. प्रद. 7 एवं 8 में आरोपित कर्मचारी द्वारा लिखित तथ्यों को प्र.ग. 1 के मुख्य परीक्षण प्रश्न सं. 19 एवं 20 के उत्तर द्वारा भी कार्यवाही पर लाया गया।

प्र.प्रय 7 द्वारा आरोपित कर्मचारी ने शाखा प्रबन्धक को सूचित किया है कि उसने रु. 172000/- एक कस्टमर को दिया जिसने 4 बजे शाम तक रूपया पहुंचा देने की बात कही थी परन्तु पहुँचाया नहीं। प्र. प्रद 8 द्वारा आरोपित कर्मचारी ने शाखा प्रबन्धक से अनुरोध किया है कि उसके द्वारा खर्ज की गई रु. 172000/- की राशि की पूर्ति की जाय जिसे वे कल तक पूरा कर देने

श्री भारत भूषण, प्रबन्धक द्वारा प्रबन्धन प्रदर्श 10 में लिखित तथ्यों, प्र. प्रदर्श 4 एवं 5 तथा प्र. गवाह 1 द्वारा मुख्य परीक्षण प्रश्न सं. 22 के उत्तर तथा प्र. गवाह- 2 द्वारा मुख्य परीक्षण प्रश्न सं. 4 के उत्तर का संदर्भ देते हुए प्रबन्धन प्रतिनिधि द्वारा यह आरोप सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। प्रबन्धन प्रतिनिधि ने प्र. प्रद 4 एवं 5 के पेड टू डे कॉलम में दिखाई गई राशि के अन्तर एवं प्र. प्रद. 6 की राशि तथा इस संबंध में गवाहों के बयान का संदर्भ देते हुए भी इस आरोप को सावित करने का प्रयास किया है। इस आरोप के संदर्भ में प्रबन्धन प्रतिनिधिने प्र. प्रद. 2 में शाखा के वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा वर्णित घटना के विस्तृत विवरण का भी उल्लेख किया है जिसके द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक को रु. 500/- एवं रु. 100/- पैकेट में कुल रु.172000/- की कमी की सूचना दी गई है।

दूसरी तरफ बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कार्य निष्पादन के दौरान घटी राशि की भरपाई उसी दिन यानी 18.10.2006 को ही आरोपित कर्मचारी द्वारा कर दी गई। बचाव पक्ष के लिखित तर्क में य भी वर्णित है कि जिस तरह की घटना दिनांक 18.10.2006 को घटी ऐसी स्थिति में कोई भी कर्मचारी सामान्य स्थिति में नहीं रह सकता और नौकरी के छूटने के भय से वह कुछ भी कर देने को तैयार हो सकता है। आगे वर्णित है कि परिस्थिति विशेष में वरीय प्रबन्धक के दवाव पर आरोपित कर्मचारी द्वारा लिखित रूप से दिए गए पत्र उनके सामान्य स्थिति में नहीं होने का संकेत देती है। बचाव पक्ष ने अपने लिखित तर्क में इसे लिपिकीय भूल भी कहा है।

पुनः बचाव पक्ष ने प्र. प्रद. 6 की तुलना प्र. प्रद. 5 से करते हुए इनके मौलिकता पर संदेह जाहिर किया है तथा रोकड़ जवरन मिलाने एवं आरोपित कर्मचारी से जबरन मनचाहा पत्र प्राप्त करने का जिक्र किया है।

बचाव पक्ष ने अपने लिखित तर्क के पृष्ठ सं. 4 पर लिखा है "18.10.2006 को रोकड़ बन्दी के समय अस्वाभाविक रूप से जो राशि घट गई उससे मेरी चिन्ता इस स्तर पर बढ़ गई जिससे मैं पूर्णतः मानसिक रूप से असंतुलित हो गया, एक तरफ घटे



राशि को पूरा करना दूसरी ओर संभावित निष्कलंकित सेवा पर प्रतिकूल असर का खतरा, दोनों ही स्थिति कुछ इस तरह बन गई मैं हतास हो गया और शाखा प्रबन्धक ने जैसा डिक्टेशन दिया मैं लिखता गया शायद इसलिए कि मेरी नौकरी पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े साथ ही मैं पूरी तरह असहाय एवं भयभीत था।" आगे यह भी लिखा गया है कि यदि आरोपित कर्मचारी की नीयत अन्यथा होती तो शायद वह रु. 172000/- जैसी बड़ी रकम का भरपाई नहीं करता।

प्रस्तुत प्रदर्शी, गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों के लिखित तर्क के सावधानी पूर्वक अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दिनांक 18.10.2006 को आरोपित कर्मचारी ने भौतिक रूप में उपलब्ध नगदी शेष से रु. 172000/- की अधिक राशि दिखाते हुए कैश मेमो (प्र. प्रद.- 4) तैयार किया और उसपर अपना हस्ताक्षर करने के उपरान्त उसे दूसरे हस्ताक्षरकर्ता श्री भारत भूषण, प्रबन्धक को सुपूर्द किया। नकदी शेष के भौतिक सत्यापन के दौरान नोटों के गिनती के क्रम में श्री भारत भूषण द्वारा रु. 172000/- की कमी पाई गई जो कि रु. 500/- और रु.100/- के मूल्यवर्ग के नोटों में थी अतः प्रबन्धक द्वारा प्र.प्रद. 4 पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। इस संबंध में पृष्ठ ताछ करने पर आरोपित कर्मचारी द्वारा मौखिक व लिखित (प्र. प्रद. 7 एवम 8) में बताया गया कि उसने एक ग्राहक को रु.172000/- की राशि दी है जो 4 बजे तक लौटाने का आश्वासन दिया परन्तु पहुँचाया नहीं। पुनः आरोपित कर्मचारी के अनुरोध पर श्री भारत भूषण, प्रबन्धक द्वारा दिए गए चेक की राशि से रु. 172000/- की कमी की भरपाई करने के उपरान्त दूसरा कैश मेमो (प्र.प्रद. 5) तैयार किया गया जिसपर दोनों चाभी धारक द्वारा हस्ताक्षर कर कैश बन्द किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आरोपित कर्मचारी द्वारा बैंक निधि का दुनियोजन किया गया एवं प्र. प्रद.- 4 को तैयार कर तथ्य को छुपाने का प्रयास किया गया।

इस आरोप के संदर्भ में बचाव पक्ष के लिखित तर्क में कही कैश में पाई गई कमी को कार्य निष्पादन के दौरान अस्वभाविक रूप से घटी राशि बताई गई है तो कही इसे लिपिकीय भूल बताया गया है। साथ ही यह भी लिखा गया है कि कमी की राशि की भरपाई उसी दिन आरोपित कर्मचारी द्वारा कर दी गई। इस तरह बचाव पक्ष के लिखित तर्क में उल्लेखित बातें परस्पर विरोधी हैं।

बचाव प्रतिनिधि द्वारा प्रबन्धन गवाह 1 एवं 2 का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया परन्तु आरोप का खंडन कर्मचारी द्वारा नहीं किया जा सका। बचाव पक्ष का यह तर्क कि परिस्थिति विशेष में वरीय प्रबन्धक के दबाव पर आरोपित कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में पत्र दिया गया यह स्वीकार्य नहीं प्रतीत होता क्योंकि प्रदान गवाह- 2 ने प्रति परीक्षण प्रश्न सं. 17 के उत्तर द्वारा स्पष्ट किया है कि आरोपित कर्मचारी ने प्रपद- 7 को स्वयं अपने हस्तलिपि में स्वविवेक से लिखा। साथ ही प्र. ग.- 2 द्वारा प्रति परीक्षण प्रश्न सं. 15 के उत्तर से यह भी स्पष्ट होता है कि आरोपित कर्मचारी तनाव की स्थिति में नहीं थे। बचाव पक्ष के लिखित तर्क में भी कैश में पाई गई रु.172000/- की कमी एवं उसकी भरपाई को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया है।

उपयुक्त तथ्यों के आलोक में आरोप संख्या 1 साबित हुआ।

आरोप संख्या 2 "Sri. Thakur borrowed cash from Sri. Bharat Bhushan. ABM. Pusafarm from his centconvenient a/c and deposited the amount and cash count be closed on 18.10.2006".



उपर्युक्त आरोप को साबित करने के लिए प्रबन्धन प्रतिनिधि ने प्रबन्धन प्रदर्श 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 प्रस्तुत किया। प्रबन्धन प्रतिनिधि ने आरोप के समर्थन में प्र. प्रद. 7 एवं 8 जो कि आरोपित कर्मचारी जिसमें आरोपित कर्मचारी द्वारा रु. द्वारा स्वलिखित आवेदन पत्र है, में वर्णित तथ्यों का जिक्र किया 172000/- की राशि, 4 बजे तक रूपया लौटा देने के आश्वासन पर, एक ग्राहक को दिए जाने, रूपया नही लोटाने एवं इस समस्या के हल करने हेतु शाखा प्रबन्धक से अनुरोध एवं रूपया कलतक लौटा देने का उल्लेख है।

प्रबन्धन प्रतिनिधि द्वारा आरोप के समर्थन में प्र.ग. 1 के मुख्य परीक्षण प्रश्न सं 19 एवं 20 के उत्तर का भी संदर्भ दिया गया है जिसमें प्र.ग. 1 ने प्र. प्रद. 7 एवं 8 के विषय वस्तु को बतलाया है जो उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुकूल है। आगे प्रबन्धन गवाह 1 ने पुनः परीक्षण प्रश्न सं. 1 के उत्तर में भी बताया कि दिनांक 18.10.2006 को रोकड़ मिलान के समय रु. 172000/- रोकड़ में कमी पाई गई और प्रधान खजांची के अनुरोध पर प्रबन्धक ने कमी राशि की भरपाई हेतु अपने सेन्टकम्पेनिएन्ट खाता सं. 454 पर रु. 172000/- का चेक निर्गत किया प्रबन्धन प्रतिनिधि ने आरोप को सिद्ध करने हेतु प्र. ग. 2 द्वारा मुख्य परीक्षण प्रश्न सं 4 एवं 6 के उत्तर को भी संदर्भित किया है जिससे अन्य बातों के अलावा यह भी स्पष्ट होता है कि आरोपित कर्मचारी ने श्री भारत भूषण प्रबन्धक, (प्र.ग. 2) से कैश शार्टेज राशि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया और उसी आलोक में प्रबन्धक ने अपने सेन्टकम्पेनिएन्ट खाता से रु. 172000/मनोज कुमार ठाकुर को उधार दिए और उसी से जो कैश शार्टेज हुआ था उसकी भरपाई की गई। उसके बाद नोट के सही मूल्य वर्ग साथ दूसरा कैश मेमो लिखकर दोनों चाभो धारक द्वारा कैश को बन्द किया गया। मुख्य परी. प्रश्न 6 के उत्तर में प्र. ग. 2 ने स्पष्ट किया कि भुगतान स्वरूप उन्हें कुछ नहीं मिला। चेक का रु. 172000/- उन्होंने श्री मनोज कुमार ठाकुर, प्रधान खजांची को उधार दिया जिससे दिनांक 18.10.06 की कैश के शार्टेज की भरपाई की जा सकी। प्र. ग. 2 ने प्रति परीक्षण प्रश्न संख्या 12, 13, एवं 14 एवं 28 के उत्तर द्वारा भी उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की। प्रबन्धन प्रतिनिधि ने आरोप के समर्थन में प्र. प्रद. 6 जो कि श्री भारत भूषण प्रबन्धक के सेन्टकम्पेनिएन्ट खाता सं. 454 का चेक सं. 001101 रु.172000/- दिनांक 18.10.2006 है, को भी प्रस्तुत किया जिसके संबंध में प्र.ग. 1 श्री बी के पोद्दार, वरीय प्रबन्धक ने मुख्य परीक्षण प्रश्न सं 23 एवं पुनः परीक्षण प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में बताया कि आरोपित कर्मचारी के आग्रह पर श्री भारत भूषण प्रबन्धक ने अपने सेन्टकम्पेनिएन्ट खाता संख्या 454 पर उक्त चेक निर्गत किया जिससे दिनांक 18.10.2006 को कैश शार्टेज की राशि को समायोजित किया जा सका प्रबन्धन माह 2 श्री भारत भूषण प्रबन्धक ने मुख्य परीक्षण प्रश्न सं 6 एवं प्रतिपरीक्षण प्रश्न सं. 12 के उत्तर द्वारा भी उक्त तथ्यों को सम्पुष्ट किया।

बचाव पक्ष द्वारा प्रबन्धन गवाह 1 एवं 2 के प्रतिपरीक्षण के दौरान या अन्य किसी अभिलेख द्वारा उक्त आरोप का खंडन नहीं किया जा सका। बचाव पक्ष ने अपने लिखित तर्क में भी इस आरोप के खंडन हेतु कोई समीचीन तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाए बल्कि लिखित तर्क के पृष्ठ सं. 4 पर यह वर्णित किया है कि यदि आरोपित कर्मचारी की नीयत अन्यथा होती तो शायद वह रु. 172000/ जैसी बड़ी रकम का भरपाई नहीं करता या इसका दोषारोपण अन्य सम्बन्धित अधिकारी पर भी करता, परन्तु घटे राशि की पूरी जिम्मेदारी अपने उपर लेकर तथा उसकी भरपाई कर बैंक के आर्थिक हितों को सुरक्षित रखा गया।

प्रस्तुत प्रबन्धन प्रदर्शों, गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों के लिखित तर्कों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आरोपित कर्मचारी के अनुरोध पर श्री भारत भूषण प्रबन्धक ने अपने सेन्टकम्पेनिएन्ट खाता पर काटे गए रु. 172000/- के चेक



के रूप में आरोपित कर्मचारी को रू. 172000/- का उधार दिया जिसकी राशि का समायोजन करते हुए केश शार्टेज रू. 17/2000/- की भरपाई के साथ दि. 18.10.2006 को केश बन्द

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आरोप संख्या 2 साबित हुआ।

संक्षेप में आरोपों के संदर्भ में मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है

आरोप सं. 1 साबित हुआ

आरोप सं 2 साबित हुआ

विभागीय जाँच कार्यवाही की मूल प्रति आपको पूर्व में ही प्रेषित है। एतद् द्वारा आपको सभी प्रबन्धन प्रदर्श, प्रबन्धन प्रतिनिधि का लिखित तर्क एवं बचाव प्रतिनिधि का लिखित तर्क प्रेषित किया जा रहा है। कृपया पावती सूचित करने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन,

sd/-

(एस. एन. झा)

जाँच अधिकारी

प्रति-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, डी.ए.डब्लू. दरभंगा।
2. आंचलिक कार्यालय, डी.ए.डब्लू. मुजफ्फरपुर।
3. केन्द्रीय कार्यालय, सतर्कता विभाग, मुम्बई।"

4. Departmental inquiry was concluded in imposition of penalty of dismissal from service on 16.06.2007 and it was subject matter of appeal before the appellate authority in which also the petitioner had suffered an order on 29.12.2008. Hence the present writ petition.

5. Learned counsel for the petitioner submitted that having regard to the alleged charges, imposition of penalty would be too harsh. It is submitted that he has rendered 14 years of service. During his entire service, it is an isolated case, therefore,



imposition of penalty of dismissal from service and its confirmation would be harsh.

6. *Per contra*, learned counsel for the respondents resisted the aforesaid contention and submitted that there is no infirmity in imposition of penalty and its confirmation by the appellate authority. The alleged charges are relating to temporary misappropriation of cash of Rs. 1,72,000/-. The charges are that petitioner had lent the amount to one customer *Sudhir Kumar Singh* on the assurance that he would return the alleged amount at 4:00 pm on 18.10.2006, the date on which the alleged transaction has taken place. Thereafter, petitioner has borrowed money from bank officials and remitted. In other words, it is temporary misappropriation. The petitioner was working with the Central Bank of India. The Bank is dealing with various money transactions with the customers. The petitioner has temporarily misappropriated customers' money, who have trusted the respondent - Central Bank of India. Therefore, it is serious charge which has been proved in the inquiry. Hence no interference is called for.

7. Heard learned counsel for the respective parties.

8. Perusal of the charge memo, it is crystal clear that it is a serious charge of temporary misappropriation of respondent



Bank/customers’ money. In fact, the petitioner has admitted relating to temporary misappropriation in his memorandum of appeal in para 4, it is stated that *“He never denied the fact that cash handed over by him at the closing hour on 18.10.2006 was short by 1,72,000/- and he immediately made good the loss. This is the single incident of shortage of cash in his entire service life.”*

9. In the light of the aforesaid admission, the petitioner has not made out a case so as to interfere with the order of the disciplinary/appellate authority. Moreover imposition of penalty of dismissal with reference to the alleged proved charges is not disproportionate, since the allegation of misappropriation money and it is in respect of financial institution like Bank.

10. Accordingly, petition stand dismissed

(P. B. Bajanthri, J)

GAURAV S./-

AFR/NAFR	
CAV DATE	
Uploading Date	17.02.2023
Transmission Date	

